प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा

माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 955 /2005

अनिल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 956/ 2005

सरदु

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारणय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

राधे श्याम शर्मा,

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2012 को सूचीबद्ध करें

सही /-

न्यायाधीश

10.05.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा

माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 955/ 2005

अपीलार्थी अनिल पिता लक्ष्मण उर्फ टेटकू उम्र 26 वर्ष , निवास कुम्हारपारा थाना नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

डॉ. शैलेश आहूजा अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्रीमती मधुनिश सिंह राज्य के ओर से पैनल अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

दांडिक अपील क्रमांक 956/2005

<u>अपीलार्थी</u> सरदु पिता लक्ष्मण उर्फ टेटकू उम्र 33 वर्ष , निवासी कुम्हारपारा थाना नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

उपस्थित :

डॉ. शैलेश आहूजा <u>अपीलार्थी</u> के अधिवक्ता

श्रीमती मधुनिश सिंह राज्य के ओर से पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 11/05/2012</u>

1. दोनों अपीलें चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) बस्तर स्थित जगदलपुर द्वारा प्रस सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2005 में दिनांक 16 दिसंबर 2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। इस निर्णय के द्वारा अभियुक्तों अपीलार्थीयों अनिल और सरदु को दोषसिद्धि किया गया है और उन्हें निम्नलिखित तरीके से दंडित किया गया है, जिसमें सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

दोषसिद्धि	दंड
धारा 302/34 भ.द.स. के अंतर्गत	आजीवन कारावास और प्रत्येक को 500/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना न देने पर, 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास
धारा 323/34 भ.द.स. के अंतर्गत	1 वर्ष का साधारण कारावास

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

मृतक बुधयारिनबाई का खेत नारायणपुर कॉलेज भवन के पास स्थित था। दिनांक 18-11-2004 को, लगभग 11:30 बजे सुबह, मृतक, विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) के साथ अपना खेत देखने गई थी। जैसे ही मृतक और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) खेत पर पहुँचे, अपीलार्थी भी वहाँ आ गए। अपीलार्थी सरडू के पास एक डंडा था और अपीलार्थी अनिल के पास एक लोहे की रॉड थी। अपीलार्थी अनिल ने मृतक और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) को गाली दी और उनसे पूछा कि वे उनके (अपीलार्थीओं के) खेत में क्यों आए थे? अपीलार्थी अनिल ने आगे कहा कि वे वाद जीत गए हैं। अपीलार्थी अनिल ने रॉड से और अपीलार्थी सरडू ने लाठी (डंडा) से मृतक और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) पर हमला करना शुरू कर दिया। मृतक के सिर और पैर पर चोटें आईं और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) के भी सिर, हाथ और पैर पर चोटें आईं। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) घटनास्थल से भागने लगे। अपीलार्थी अनिल ने रॉड से उन्हें भगाया। उस समय, कुछ मज़दूर थोड़ी दूरी पर एक खेत में काम कर रहे थे और उन्होंने इस घटना को देखा। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) ने घटना के संबंध में मृतक की बहन चंपाबाई (अभियोजन साक्षी-3) को सूचित किया। मृतक को घटनास्थल से नारायणपुर अस्पताल ले जाया गया। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) ने पुलिस थाना नारायणपुर में प्रथम सूचना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित कराई। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) और मृतक को प्रदर्श पी-31 और पी-32 चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारायणपुर भेजा गया। डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी-19) ने विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-29) दिया , जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) विदीर्ण घाव, 5"x1"x1", सिर पर दाहिनी पार्श्व अस्थि के ऊपर मध्य रेखा के पार्श्व में,

(ii) खरोंच, 2 सेमी x 1.5 सेमी, दाहिनी अग्रबाहु के निचले 1/3 मध्य भाग में, और

(III) खरोंच, 1.5 सेमी x 1 सेमी, दाहिनी जांघ के निचले 1/3 पार्श्व भाग में।

उन्होंने सिर की चोट के एक्स-रे की सलाह दी थी। डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी-19) ने मृतक का भी परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-30) दिया, जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर लगभग 14 चोटें पाईं। उन्होंने मृतक को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग के लिए संदर्भित किया, लेकिन रास्ते में ही मृतक की मृत्यु हो गई। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) का कथन नायब तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोनित मेरिया (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रदर्श पी-2 के माध्यम से अभिलिखित किया गया। मृतक का मृत्युकालिक कथन भी नायब तह सीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोनित मेरिया (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा प्रदर्श पी-25 के माध्यम से अभिलिखित किया गया था। पुलिस थाना नारायणपुर में मर्ग सूचना प्रदर्श पी-3 अभिलिखित की गई और एक अन्य मर्ग सूचना प्रदर्श पी-4 पुलिस थाना दुर्ग में अभिलिखित की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण अधिकारी जिला अस्पताल, दुर्ग पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-19) दिया और मृतक के शव का पंचनामा/ मृत्यु-समीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20 तैयार किया। मृतक के शव को प्रदर्श पी-27ए द्वारा परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया, । डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अभियोजन साक्षी-18) ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-27) दिया , जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर लगभग 19 चोटें पाईं। उन्होंने टिबिया और फिबुला अस्थियों में फ्रैक्चर पाया। उन्हें दाहिने रेडियस और अल्ना अस्थियों में फ्रैक्चर तथा दाहिने अंगूठे की हड्डी में भी फ्रैक्चर मिला। उन्होंने दाहिने कंधे में भी फ्रैक्चर पाया। छाती की दाहिनी पसलियां (कई पसलियां) भी टूट गई थीं, जिसके कारण दाहिना फेफड़ा पंचर हो गया था। उन्होंने टिबिया और फिबुला अस्थियों में फ्रैक्चर पाया। उन्हें दाहिने रेडियस और अल्ना अस्थियों में फ्रैक्चर तथा दाहिने अंगूठे की हड्डी में भी फ्रैक्चर मिला। उन्होंने दाहिने कंधे में भी फ्रैक्चर पाया। छाती की दाहिनी पसलियां (कई पसलियां) भी टूट गई थीं, जिसके कारण दाहिना फेफड़ा पंचर हो गया था। उन्होंने अभिमत दिया कि मृतक की मृत्यु का कारण शरीर पर आई चोटों के परिणामस्वरूप हुआ रक्तस्राव और सदमा था तथा मृत्यु की प्रकृति की थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अग्रिम अन्वेषण में, अपीलार्थी अनिल का प्रकटीकरण कथन अभीसाक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रदर्श पी-6 के माध्यम से अभिलिखित किया गया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-9 के माध्यम से एक लोहे की रॉड जब्त की गई। अपीलार्थी सरदू का प्रकटीकरण कथन भी अभीसाक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रदर्श पी-7 के माध्यम से अभिलिखित किया गया

और उसकी निशानदेही पर टंगिया का बेंत (डंडा) प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त किया गया। घटनास्थल से साधारण मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी प्रदर्श पी-17 के माध्यम से जब्त की गई। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) की पैंट और शर्ट भी प्रदर्श पी-17 के माध्यम से उनसे जब्त की गई। अन्वेषण अधिकारी संजय पुंधीर (अभियोजन साक्षी-22) द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श पी-35 तैयार किया गया। जब्त शुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी-45 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-47) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-47 के अनुसार, वस्तु 'ए' (रक्त रंजित मिट्टी), 'ई' (लोहे की रॉड), 'एफ' (डंडा) तथा अन्य वस्तुओं 'जी-1' से 'जी-5', 'एच', 'आई-1' और 'आई-2' पर रक्त के धब्बे पाए गए।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणपुर के न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर को सुपुर्द कर दिया। वहाँ से स्थानांतरण पर यह मामला चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बस्तर स्थान जगदलपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थियों को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता डॉ. शैलेश आहूजा ने तर्क दिया कि घटना का कोई भी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) एक अत्यधिक हितबद्ध साक्षी है। मृतक का मृत्युकालिक कथन और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) का कथन, जिसे नायब तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोनित मेरिया (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा अभिलिखित किया गया था, अत्यंत संदिग्ध हैं। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) ने न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों को हमलावर बताया है, किंतु मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-24) और प्रदर्श पी-2 में अपीलार्थियों के साथ बुधराम का नाम भी हमलावर के रूप में

अभिलिखित है। मृतक कथन देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-24) विश्वसनीय नहीं है। अतः, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है और अपीलार्थी अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थियों का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा और अभियोजन के संपूर्ण मामले को स्वीकार करने के बाद भी, अपीलार्थी किसी कम गंभीर धारा, अधिमानतः धारा 304 भाग-II के अंतर्गत सजा के पात्र होंगे।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिषा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2005 के अभिलेख का अवलोकन किया । अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना, विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) के अभीसाक्ष्य और कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोनित मेरिया (अभियोजन साक्षी-16) द्वारा अभिलिखित मृतक के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) पर आधारित था।

6. वर्तमान मामले में, विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) एक घायल साक्षी है। उसने यह अभीसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थियों ने डंडे और रॉड से उस पर हमला किया। उसने पुलिस थाना नारायणपुर में प्रदर्श पी-1 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभिलिखित कराई। उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-31 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारायणपुर भेजा गया। डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी-19) ने अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने

विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-29) दिया। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1), डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी-19) के अभीसाक्ष्य तथा प्रदर्श पी-29 और पी-31 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी-1) उसी घटना में घायल हुआ था।

7. **मानो दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 79** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया:

"30. सामान्यतः, एक घायल साक्षी अधिक विश्वसनीयता का पात्र होता है क्योंकि वह स्वयं पीड़ित होता है और इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति के पास घटना का गलत विवरण देने, या किसी को झूठा फँसाने और बदले में असली अपराधी को बचाने का कोई अवसर नहीं होता है। हमें इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय द्वारा एक घायल साक्षी के अभीसाक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए।" "वास्तव में, दांडिक न्यायशास्त्र का यह पहलू अब अनिर्णित नहीं रह गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निरंतर एकसमान भाषा में कहा गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. हम केवल अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी 259 का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: (एस.सी.सी पृ. 271-72, पैरा 28-30)

"28. घटना के दौरान स्वयं घायल हुए साक्षी के अभीसाक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उस घटना में घायल हुआ हो, वहाँ ऐसे साक्षी के अभिकथन को सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा साक्षी है जिसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है

और इस बात की संभावना कम होती है कि वह किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को छोड़ देगा।" "आहत साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस अभीसाक्ष्य की आवश्यकता होती है।" [देखें रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1973) 3 एस.सी.सी 881, मलखान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 311, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी 470, अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 Supp एस.सी.सी 241, बोन्क्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एस.सी.सी 447, भाग सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997) 7 एस.सी.सी 712, मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 7 एस.सी.सी 606 (एस.सी.सी पृ. 606ख-की), दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, (2008) 8 एस.सी.सी 270, विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एस.सी.सी 477, अन्नारेड्डी साम्बशिवा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस.सी.सी 546 और बालराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एस.सी.सी 673)]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस प्रश्न का निर्णय करते समय, जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एस.सी.सी 719 में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहाँ इस न्यायालय ने एक आहत साक्षी के अभीसाक्ष्य को दिए गए विशेष साक्ष्यात्मक महत्व को दोहराया और अपने पूर्व के निर्णयों पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी पृ. 726-27, पैरा 28-29)

"28. दर्शन सिंह (अभियोजन साक्षी.-4) एक 'आहत साक्षी' था। चिकित्सक द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था। उसके अभीसाक्ष्य को हल्के ढंग से अमान्य नहीं किया जा सकता था। उसने घटना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था क्योंकि वह उस समय उपस्थित था जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुंचे

थे। शिवलिंगप्पा कल्यानप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 (3) एस.सी.सी 235 के मामले में, इस माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आहत साक्षी के अभिकथन पर तब तक विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि तात्विक विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके अभीसाक्ष्य को अस्वीकार करने के प्रबल आधार विद्यमान न हों, क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उसे उक्त घटना के दौरान क्षति/चोट पहुँची थी, तो घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्वतः स्थापित हो जाती है।"

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, (2004) 7 एस.सी.सी 629 के मामले में, इसी प्रकार के दृष्टिकोण को दोहराते हुए यह अवधरित किया गया है कि 'चिह्नित साक्षी' के अभीसाक्ष्य की अपना महत्व और प्रभाव होती है। यह तथ्य कि साक्षी को घटना के समय और स्थान पर चोटें आई थीं, उसके इस अभीसाक्ष्य को बल प्रदान करता है कि वह घटना के समय उपस्थित था। यदि आहत साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की जाती है और उसके अभीसाक्ष्य को खारिज करने हेतु कोई तथ्य निकलकर नहीं आता है, तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए [देखें कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 12 एस.सी.सी 459]। अतः, हमारी यह सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्शन सिंह (अभियोजन साक्षी. 4) के अभीसाक्ष्य पर उचित रूप से विश्वास किया गया है।

"30. इस बिंदु पर विधि को इस आशय के साथ संक्षिप्त किया जा सकता है कि विधि के अंतर्गत 'आहत साक्षी' के अभीसाक्ष्य को एक विशेष दर्जा/स्थिति प्रदान की गई है। यह इस तथ्य का परिणाम है कि साक्षी को आई चोट, घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति की एक 'अंतर्निहित गारंटी' है और चूंकि साक्षी अपने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वास्तविक हमलावर को केवल किसी तीसरे पक्ष को अपराध के लिए झूठा फंसाने के उद्देश्य से दंडमुक्त नहीं होने देगा। अतः, आहत साक्षी के अभिकथन पर तब तक विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें तात्विक विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके अभीसाक्ष्य को अस्वीकार करने के प्रबल आधार विद्यमान न हों।

8. विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने यह अभीअभीसाक्ष्य (दिया कि उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-2) नारायणपुर अस्पताल में अभिलिखित किया गया था। सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) ने अभीअभीसाक्ष्य दिया कि उसने मृतक का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-25 के रूप में अभिलिखित किया था और उसने विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) का अभिकथन प्रदर्श पी-2 के रूप में मृत्युकालिक कथन के रूप में अभिलिखित किया था। तथापि, चूंकि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) जीवित बच गया, इसलिए उसके अभिकथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित अभिकथन की तुलना में 'उच्च श्रेणी' का अभिकथन माना जाना चाहिए और उसे अधिकतम धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित अभिकथन के समान माना जाना चाहिए तथा इसका उपयोग केवल संपुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने अभीअभीसाक्ष्य दिया कि वे सुबह लगभग 11-11:30 बजे कृषि क्षेत्र (खेत) में गए थे। जब वे खेत से वापस लौट रहे थे, तब अपीलार्थीगण उनके पास आए। अपीलार्थी सरदू डंडे से लैस था और अपीलार्थी अनिल लोहे की छड़ (रॉड) से लैस था। अपीलार्थी सरदू ने मृतक के पैर पर डंडे से प्रहार किया। उसने अपीलार्थी सरदू से पूछा कि वह मारपीट क्यों कर रहा है? इस पर, अपीलार्थी अनिल ने उस पर (साक्षी पर) लोहे की छड़ से बाएं पैर, बाएं हाथ और सिर पर प्रहार किया, जिसके कारण उसकी जांघ पर गंभीर

चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसे सिर पर भी चोट आई। उसने आगे अभीअभीसाक्ष्य दिया कि सिर पर छड़ से प्रहार के कारण वह गिर पड़ा। उसके गिरने के बाद, अपीलार्थीगण ने डंडे और छड़ से मृतक के साथ मारपीट किया ।

10. .विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने आगे अभीसाक्ष्य दिया कि सर्वप्रथम अपीलार्थी सरदू ने मृतक के पैर पर डंडे से प्रहार किया। अपीलार्थी अनिल ने मृतक की कमर, छाती और सिर पर छड़ (रॉड) से प्रहार किया। उसने आगे अभीसाक्ष्य दिया कि इसी बीच, वह उठा और एक दुकान के पास गया जहाँ एक साइकिल खड़ी थी। वह साइकिल से अपने घर गया। उसने मृतक की बहन, चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) को अपीलार्थीगण द्वारा मृतक के साथ की गई मारपीट के बारे में बताया दिया।"

11. चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) और कु. रिंकू देवांगन (अभियोजन साक्षी.-8) ने अभीसाक्ष्य दिया कि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) दौड़ते हुए उनके पास आया और बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा डंडे और छड़ (रॉड) से मृतक के साथ मारपीट की जा रही थी। जिस समय विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने उन्हें घटना का विवरण दिया, वह रक्त से लथपथ था। चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) घटना स्थल पर गई और देखा कि मृतक खेत में पड़ा हुआ था, उसका सिर फट गया था और रक्त बह रहा था। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) को भी सिर पर चोट आई थी और वहां से रक्त बह रहा था। कु. रिंकू देवांगन (अभियोजन साक्षी.-8) ने अभीसाक्ष्य दिया कि उसने मृतक को खेत में पड़ा हुआ देखा था। मृतक के सिर पर चोट आई थी और उसके पैर तथा हाथ टूट चुके थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी.-19) ने अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने दिनांक 18-11-2004 को विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-29) दिया , जिसमें उन्होंने पाया: (i) सिर के दाहिने पार्श्व अस्थि पर मध्य-रेखा के ठीक बगल में 5"x1"x1" का विदीर्ण घाव , (ii) दाहिने अग्रबाहु के निचले एक-तिहाई मध्य

भाग में 2सेमीx1.5सेमी का अपघर्षण, और (iii) दहिनी जांघ के निचले एक-तिहाई पार्श्व भाग में 1.5सेमीx1सेमी का अपघर्षण। उन्होंने सिर की चोट के एक्स-रे की सलाह दी थी। उन्होंने आगे अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक का भी परीक्षण किया था और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-2) दी थी। डॉ. कमलकांत सोरी (अभियोजन साक्षी.-19) के अनुसार, मृतक को लगभग 14 चोटें आई थीं। डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अभियोजन साक्षी.-18) ने अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक का शव-परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-27) दिया , जिसमें उन्होंने मृतक के मृत शरीर पर लगभग 19 चोटें पाईं। उन्होंने टिबिया और फिबुला अस्थियों में अस्थि-भंग पाया। उन्होंने दाहिने कंधे में भी अस्थि-भंग पाया। छाती की दाहिनी पसलियां भी टूट गई थीं, जिसके कारण दाहिना फेफड़ा पंक्चर हो गया था।

13. वर्तमान मामले में, विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) एक 'आहत साक्षी' है। उसने तत्काल घटना का विवरण चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) और कु. रिंकू देवांगन (अभियोजन साक्षी.-8) को दिया। चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) और कु. रिंकू देवांगन (अभियोजन साक्षी.-8) ने देखा कि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) रक्त से लथपथ था। चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3) तुरंत घटना स्थल की ओर भागी और देखा कि मृतक वहां पड़ा हुआ था और उसे चोटें (क्षति) आई थीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) के अभीसाक्ष्य की संपुष्टि चम्पाबाई (अभियोजन साक्षी.-3), कु. रिंकू देवांगन (अभियोजन साक्षी.-8) के अभीसाक्ष्य, प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) और चिकित्सीय अभीसाक्ष्य द्वारा होती है।"

15. अभियोजन पक्ष ने अभीसाक्ष्य का एक अन्य समूह प्रस्तुत किया, अर्थात् मृतक का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25)। अब, हम मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) का परीक्षण करेंगे।"

16. जहाँ तक मृतक के मृत्युकालिक कथन का संबंध है, यदि अभिकथन अभिलिखित करने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि कथनकर्ता मृत्युकालिक कथन करने के लिए 'स्वस्थ मानसिक स्थिति' में था, तो उक्त मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया जा सकता है और इसे अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। मृत्युकालिक कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में मामूली विसंगतियाँ अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकतीं। विधि अत्यंत स्पष्ट है कि यदि मृत्युकालिक कथन विधि के अनुसार अभिलिखित किया गया है, विश्वसनीय है और घटनाओं के घटित होने का एक तर्कसंगत और संभावित विवरण देता है, तो न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया जा सकता है और यह अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए 'एकमात्र अभीसाक्ष्य' बन सकता है। 'मृत्युकालिक कथन' का अनिवार्य रूप से अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के संबंध में दिया गया बयान जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता इस सिद्धांत पर आधारित है कि आसन्न मृत्यु का बोध मनुष्य के मन में वैसी ही भावना उत्पन्न करता है जैसी कि शपथ के अधीन एक कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी व्यक्ति के मन में होती है।" मृत्युकालिक कथन इस विचार के आधार पर ग्राह्य है कि कथन 'अतिशय संकट' की स्थिति में किया गया था, जब कथनकर्ता मृत्यु के कगार पर हो और जब इस संसार की प्रत्येक आशा समाप्त हो चुकी हो; जब मन में मिथ्या वाद दायर करने का प्रत्येक उद्देश्य शांत हो चुका हो और अभीसाक्ष्य देने वाला व्यक्ति सत्य बोलने के लिए अत्यंत शक्तिशाली विचारों से प्रेरित हो। एक बार जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कथन सत्य और स्वैच्छिक था, तो वह निस्संदेह अन्य किसी संपुष्टि की आवश्यकता के बिना मृत्युकालिक कथन के आधार पर अपनी दोषसिद्धि का निर्णय दे सकता है। इसे विधि के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता कि मृत्युकालिक कथन तब तक दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसकी संपुष्टि न हो जाए। [देखें भज्जू उर्फ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 327]

17. सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) ने अभीसाक्ष्य दिया कि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) और मृतक के मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के संबंध में थाना नारायणपुर से दो प्रकटी करण (प्रदर्श पी-23 और पी-24) प्राप्त हुए थे। उसने आगे अभीसाक्ष्य दिया कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारायणपुर गया था और उसने प्रदर्श पी-25 के रूप में मृतक का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था। प्रतिपरीक्षा में उसने विशिष्ट रूप से अभीसाक्ष्य दिया कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) पर चिकित्सक के हस्ताक्षर थे। मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) में यह उल्लेख किया गया है कि रोगी अभिकथन देने के लिए 'स्वस्थ मानसिक स्थिति' में था। उपरोक्त प्रमाणपत्र पर रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर थे। मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात, चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि अभिकथन देने के दौरान रोगी पूर्णतः सचेत था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) ने अभीसाक्ष्य दिया कि जब वह मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) अभिलिखित कर रहा था, तब चिकित्सक वहां उपस्थित थे। प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में, उसने विशिष्ट रूप से अभीसाक्ष्य दिया कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) पर प्रमाणीकरण करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर थे।

19. विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने न्यायालय के समक्ष केवल अपीलार्थीगण के नामों के बारे में अभीसाक्ष्य दिया, जबकि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) में अपीलार्थीगण के नामों के अतिरिक्त बुधराम का नाम भी सम्मिलित है, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) संदेहास्पद है। यह तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है।"

20. अभिलेख पर उपलब्ध अभीसाक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि पुलिस को घटना की सूचना विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) द्वारा दी गई थी और मृतक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) द्वारा उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) अंकित किया गया था। मृतक ने यह कथन किया था कि अपीलार्थीगण अनिल और सरदू तथा एक अन्य व्यक्ति बुधराम ने उसके साथ मारपीट की थी। मृतक द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) में केवल बुधराम का नाम लेने मात्र से मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) संदेहास्पद नहीं हो जाता है। उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-25) विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) और सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) के अभीसाक्ष्य से पूर्णतः समर्थित है और इसे अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. हमने विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1), सोणित मेरिया (अभियोजन साक्षी.-16) के अभीसाक्ष्य और प्रदर्श पी-25 का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने स्पष्ट रूप से अभीसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन , अपीलार्थीगण ने डंडे और छड़ (रॉड) से उस पर और मृतक पर प्रहार किया था। हमने चिकित्सीय अभीसाक्ष्य का भी परिशीलन किया है। मृतक की मृत्यु की प्रकृति 'मानव-वध' थी। अतः, हमें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली कि वे अपीलार्थीगण ही थे जिन्होंने डंडे और छड़ से मृतक के शरीर पर चोटें कारित की थीं और अपीलार्थीगण द्वारा कारित चोटों के कारण ही मृतक की मृत्यु हुई थी।

22. अब, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 बनाम धारा 304 के प्रावधानों के प्रकाश में मामले का परीक्षण करेंगे।"

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 'हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध' के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दी जाने वाली दंड के बीच अंतर स्पष्ट

करती है, जहाँ मृत्यु कारित करने का 'आशय' विद्यमान हो और वह कार्य 'हत्या' की कोटि में आता, यदि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के 'अपवादों' में से किसी एक के अंतर्गत न आता; और उन मामलों में जहाँ अपराध 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध' है, जिसका अर्थ है, जहाँ यह 'ज्ञान' तो है कि मृत्यु एक संभावित परिणाम होगी, किंतु मृत्यु कारित करने का आशय, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभावित हो, अनुपस्थित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग तब लागू होता है जहाँ 'आशय' विद्यमान हो, जबकि द्वितीय भाग तब लागू होता है जहाँ 'ज्ञान' हो; किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराने से पूर्व, यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा कारित मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पांच 'अपवादों' में वर्णित परिस्थितियों में से किसी एक के अंतर्गत होनी चाहिए। इन अपवादों में 'घोर और अचानक प्रकोपन' के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के दौरान कारित मृत्यु, शरीर या संपत्ति की 'निजी प्रतिरक्षा' के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए कारित मृत्यु, और बिना किसी पूर्व-चिंतन के अचानक हुए झगड़े में आवेश की तीव्रता में कारित मृत्यु सम्मिलित है। किसी कार्य को करने से होने वाले परिणामों का 'ज्ञान' होना उस 'आशय' से सर्वथा भिन्न है जो यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पूर्ववर्ती भाग 1 को आकर्षित करने के लिए 'आशय' का तत्व एक कारक है, जबकि उत्तरवर्ती भाग II को आकर्षित करने के लिए 'ज्ञान' का तत्व एक कारक है। आशय किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को उद्देश्य करना है, जबकि 'ज्ञान' एक ऐसी जागरूकता है जो इस बात से भली-भांति अवगत कराती है कि किसी कार्य को करने से एक विशिष्ट परिणाम घटित हो सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि वह खेत अपीलार्थीगण का था और मृतक तथा विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) ने अपीलार्थीगण को अपशब्द कहते हुए उनके खेत में जबरन प्रवेश किया था। तत्पश्चात, क्षणिक आवेश में वह घटना घटित हुई। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण पर मृतक की हत्या कारित करने के किसी भी 'आशय' का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, अधिकतम यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I या भाग-II के अंतर्गत ही होगा।

25. विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) के अभीसाक्ष्य के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) और मृतक निःशस्त्र थे और जब वे खेत में पहुँचे, तब अपीलार्थीगण, डंडे और छड़ (रॉड) से लैस होकर वहां आए और आते ही उन्होंने डंडे और छड़ से मृतक तथा विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) पर प्रहार किया। मृतक को लगभग 18-19 चोटें आईं और विनोद कुमार (अभियोजन साक्षी.-1) को 4 चोटें आईं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अभियोजन साक्षी.-18), जिन्होंने शव-परीक्षण किया था, ने विशिष्ट रूप से अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के मृत शरीर पर लगभग 19 चोटें पाईं। उन्होंने टिबिया और फिबुला अस्थियों में अस्थि-भंग पाया। उन्होंने दाहिने कंधे में भी अस्थि-भंग पाया। छाती की दाहिनी पसलियां भी टूट गई थीं, जिसके कारण दाहिना फेफड़ा पंक्चर हो गया था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि मृतक की मृत्यु का स्वरूप शरीर पर आई चोटों के कारण हुआ 'रक्तस्राव और सदमा' था और मृत्यु की प्रकृति 'मानव-वध' थी।

27. इस अभीसाक्ष्य के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I या भाग-II के अंतर्गत किसी मामले की कल्पना करना कठिन है।"

28. प्रहार की तीव्रता का अनुमान उन परिस्थितियों से लगाया जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने मृतक के मुँह, चेहरे और माथे पर कई चोटें कारित कीं और मृतक की विभिन्न अस्थियों में कई फ्रैक्चर भी किए। अपीलार्थीगण द्वारा उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति और जिस तरीके

से उन्होंने मृतक पर हमला किया, साथ ही प्रहार की वह तीव्रता जिससे उन्होंने मृतक पर वार किया और शरीर के वे अंग जिन्हें उन्होंने ऐसे प्रहार के लिए चुना, यह दर्शाते हैं कि उनका आशय मृतक की हत्या कारित करने का था। हमारा यह मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी 'अपवाद' के अंतर्गत नहीं आएगा और वर्तमान मामले को 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध' नहीं कहा जा सकता।"

29. पूर्वोक्त कारणों से, हमें अपीलों में कोई सार नहीं मिला है। तदनुसार, अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तद्नुसार उन्हें खारिज किया जाता है।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही /-
राधे श्याम शर्मा,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore